<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>

### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-18102022-239731 SG-DL-E-18102022-239731

## असाधारण EXTRAORDINARY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 2022/आश्विन 25, 1944[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 297No. 461]DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2022/ASVINA 25, 1944[N. C. T. D. No. 297

## भाग IV PART IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## वित्त (व्यय–I) विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2022

संख्या 03 / 2022-राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(25)/वित्त (व्यय—I)/2022—23/डीएस—I/839.—विल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप—धारा (1), उप—धारा (3) और उप—धारा (4), धारा 11 की उप—धारा (1), धारा 15 की उप—धारा (5), धारा 16 की उप—धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए। कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं.फा.03(15)/वित्त (राजस्व—I)/2017—18/डीएस—VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग—IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,-

- क. सारणी में.-
- (I) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में,—

7018 DG/2022 (1)

- (क) मद (iii), (iv), (v), (via), (vi) और (ix) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
  - (ख) मद (vii) और (x) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ग) मद (xii) में, कोष्ठक और अंक "(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)" के स्थान पर, कोष्ठक और अंक "(vii), (viii), " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (II) क्रम संख्याा ७ के समक्ष, मद (i) में, "एक हजार रुपए से अधिक लेकिन" शब्दों को निरसित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में,—
- (क) मद (vi) और उससे संबंधित कॉलम (4), (5), की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)	(5)
"(via) रोपवे के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे वे अपने सामान के साथ हों या नहीं।	2.5	बशर्तें कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। (कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv))";

(ख) मद (vii) और उससे संबंधित कॉलम (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (ivक), (v), (vi) और (via) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं।	9	<u> </u>

(IV) क्रमांक 9 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (iii) और उससे संबंधित कॉलम (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)	(5)
"(iii) जीटीए द्वारा आपूर्ति किए गए माल (जिसमें व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाले इस्तेमाल किए गए घरेलू सामान भी शामिल हैं) के परिवहन से संबंधित माल परिवहन एजेंसी की सेवाएं, जहां—		
(क) जीटीए अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है;	2.5	बशर्तें कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(ख) जीटीए अपने द्वारा आपूर्ति की जाने वाली	2.5	1. ऐसी आपूर्तियों के संबंध में जिसमें की जीटीए
सेवाओं पर जीएसटी के स्वयं भुगतान करने का	या	2.5% की दर से कर का भुगतान करता हो तो
विकल्प का प्रयोग करता हो ।	6	ऐसी आपूर्तियों पर जीटीए सेवा की आपूर्ति में प्रयोग माल और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट
		नहीं लेगा।
		[कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
		2. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने का जीटीए के द्वारा लिए जाने वाले विकल्प का प्रयोग, उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक अनुबंध अनुलग्नक V में घोषणा करके किया जाएगाः
		बशर्ते कि वित्तीय वर्ष 2022—2023 के लिए इस विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उसके पहले करना होगा।
		बशर्ते और भी कि उपवाक्य (ख) पर लागू दर पर

राज्य कर वाली सेवा की आपूर्ति के लिए इनवॉयस
को वित्तीय वर्ष, 2022–2023 के लिए विकल्प देने के
पहले—पहले 18 जुलाई, 2022 से 16 अगस्त, 2022
की अवधि के दौरान जारी किया जा सकता है लेकिन
ऐसे मामले में आपूर्तिकर्ता अपनी आपूर्ति पर
जीएसटी के भुगतान के विकल्प का प्रयोग 16
अगस्त, 2022 को या उससे पहले ही करेगा ।";

(ख) मद (vi) और कॉलम (4) और (5) में और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)	(5)
"(via) रोपवे द्वारा माल का परिवहन	2.5	बशर्तें कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]";

(ग) मद (vii) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित का प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (via) से	9	<b>-</b> ";
भिन्न माल परिवहन सेवाएं।		

(V) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)	(5)
"(ia) माल परिवहन का किराया पर देने की सेवाएं जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	6	_".

(ख) मद (iii) में, कोष्ठक और अंक "(i)" के पश्चात, कोष्ठक और अंक ",(ia)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(VI) क्रम संख्या 11 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) और (ii) के लिए और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)	(5)
"परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं।	9	<u>-";</u>
स्पष्टीकरणः इस प्रविष्टि में वे माल परिवहन सेवा नहीं आती है जिनमें माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) सेवा, जो शीर्षक 9965 के अंतर्गत आती है, शामिल होती है ।		

(VII) क्रमांक 15 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में तत्संबंधी प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) मद (vii) में, कोष्ठक और प्रतीक "(i)," को निरसित किया जाएगा;

(VIII) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में,-मद (i) में, उप मद (ड.), (ड.क) और (ज) को निरसित किया जाएगा;

(IX) क्रम संख्याा 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
″31A	शीर्षक	किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट	2.5	ऐसी सेवा की आपूर्ति में
	9993	(आईसीयू) / क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) / इंटेंसिव		प्रयुक्त व वस्तुओं और
		कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू) / नियोनेटल		सेवाओं पर भारित इनपुट
		इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में		टैक्स की क्रेडिट न ली
		प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसका शुल्क रु. 5000/-		गई हो।
		प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख		(कृपया देखें: स्पष्टीरकरण

रेख सेवाएं दी जा रही हो ।	संख्या (iv)]";

(X) क्रम संख्या 32 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित का अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)	(5)
"(ia) किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य जैव–चिकित्सा अपशिष्ट	6	<b>-</b> ";
उपचार प्रसुविधा के प्रचालको द्वारा, जैव-चिकित्सिय अपशिष्ट के		
उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं के		
माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सेवाएं		

(ख) मद (ii) में, कोष्ठक और अंक "(i)"के पश्चात, कोष्ठक और अंक "और (ia)" को अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

ख. स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में, उपवाक्य (xxxvi) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्यों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:–

"(xxxvii) 'प्रिंट मीडिया' से अभिप्राय है, -

- (i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उप—धारा (1) में परिभाषित 'पुस्तक', किन्तु इसके अंतर्गत कारबार निदेशिकाएँ, पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॉग, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हैं, शामिल नहीं हैं;
- (ii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उप—धारा (1) में यथापरिभाषित 'समाचार पत्र';

(xxxviii) 'नैदानिक प्रतिस्थापन' से कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सेनेटोरियम या कोई अन्य संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो निदान या उपचार या रुग्णता, चोट , विरूपण, अप्रसमान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाओं का भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धित में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के निदान या जाँच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है; ";

(xxxix) "स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं" से निदान या उपचार या रुग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्यता या गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा, पद्धित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सिम्मिलत हैं किन्तु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक शल्यक्रिया सिवाय तब जब अनुवंशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्यताओं, चोट या संघात के कारण प्रभावित शरीर के अंगो या शरीर के कृत्यों को बहाल करने या पुनर्निर्माण के लिए की जाती है, सिम्मिलत नहीं है;

(xxxx) "माल परिवहन अभिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

ग. अनुबंध IV के पश्चात, निम्नलिखित अनुबंध को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

अनुबंध V: किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा ।

<u>"अनुबंध V</u>

#### फार्म

किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है ।

-	r	-	
सट	भ	सख्या	_

दिनांकः -

 आपूर्ति से संबंधित कर के भुगतान के लिए दायी किसी व्यक्ति पर लागू होते हों, का अनुपालन करने का वचन देता हूँ / देती हूँ / देते हैं;

2. मैं इस बात को समझता हूं कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर इस विकल्पक के प्रयोग की तारीख से एक वर्ष की अविध के भीतर इसको बदलने की अनुमित नहीं होगी और यह जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा उसके अंत तक वैध रहेगा ।

विधिक नामः —
जीएसटीआईएनः —
पैन नं.
प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षरः
प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नामः
जीटीए का पूरा पताः

(अधिकार क्षेत्र वाले जीटीए प्राधिकारी का दिनांक सहित स्वीकृति पत्र)

नोटः किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है। वित्तीय वर्ष 2022—2023 के विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 तक किया जा सकता है।".

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

नोटः प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, को सं.फा.03(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017—18/डीएस—1/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-I में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2021—राज्य कर (दर), दिनांक 22 मार्च, 2022, जिसे सं. फा.03(168)/वित्त (व्यय-I)/12022—123/डीएस-I/1201, दिनांक 122 मार्च, 12022 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय –I)

# FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 17th October, 2022

No. 03/2022-State Tax (Rate)

**No. F. 3** (25)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/839.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of this Government issued vide No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:—

In the said notification,—

- (A) in the Table,—
  - (I) against serial number 3, in column (3),—
    - (a) items (iii), (iv), (v), (va), (vi) and (ix) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;
      - (b) against items (vii) and (x), for the entry in column (4), the entry "6" shall be substituted;

- (c) in item (xii), for the brackets and figures "(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)", the brackets and figures "(vii), (viii)," shall be substituted;
- (II) against serial number 7, in column (3), in item (i), the words "above one thousand rupees but" shall be omitted;
- (III) against serial number 8, in column (3),—
  - (a) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(via) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by ropeways.	2.5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken.
		[Please refer to Explanation no. (iv)]";

(b) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(vii) Passenger transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (iva), (v), (vi) and (via) above.	9	-";

- (IV) against serial number 9,in column (3),—
- (a) for item (iii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) Services of Goods Transport Agency (GTA)in relation to transportation of goods (including used house hold goods for personal use)supplied by a GTA where,-		
(a) GTA does not exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it;	2.5	The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken.  [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
(b) GTA exercises the option to itself pay GST on services supplied by it.	2.5	(1) In respect of supplies on which GTA pays tax at the rate of 2.5%, GTA shall not take credit of input tax charged on goods and services used in
	or	supplying the service.[Please refer to Explanation No. (iv)]
	6	(2) The option by GTA to itself pay GST on the services supplied by it during a Financial Year shall be exercised by making a declaration in Annexure V on or before the 15 <sup>th</sup> March of the preceding Financial Year:
		Provided that the option for the Financial Year 2022-2023 shall be exercised on or before the 16 <sup>th</sup> August, 2022:
		Provided further that invoice for supply of the service charging Delhi tax at the rates as applicable to clause (b) may be issued during the period from the 18 <sup>th</sup> July, 2022 to 16 <sup>th</sup> August, 2022 before exercising the option for the financial year 2022-2023 but in such a case the supplier shall exercise the option to pay GST on its supplies on or before the 16 <sup>th</sup> August, 2022.";

(b) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(via) Transport of goods by ropeways.	2.5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken.  [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]";

(c) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (via) above.	9	-";

(V) against serial number 10,in column (3),—

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	6	_",

(b) in item (iii), after the brackets and figure "(i)", the brackets and figures ", (ia)" shall be inserted;

(VI) against serial number 11,in column (3),for items (i) and (ii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"Supporting services in transport.	9	-";
Explanation: This entry does not include goods transport service involving Goods Transport Agency (GTA) service, which falls under Heading 9965.		

(VII) against serial number 15, in column (3),—

- (a) item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;
- (b) in item (vii), the brackets and figures "(i)," shall be omitted;
- (VIII) against serial number 26,in column (3), in item (i), sub-items (e), (ea) and (h) shall be omitted;
- (IX) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	Heading 9993	Services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit(CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services.	2.5	The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken  [Please refer to Explanation no. (iv)]";

(X) against serial number 32, in column (3),—

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely:—

(3)	(4)	(5)
"(ia) Services by way of treatment or disposal of biomedical waste or the processes incidental thereto by a common bio-medical waste treatment facility to a clinical establishment.	6	-";

- (b) in item (ii), after the brackets and figures "(i)", the word, brackets and figure "and (ia)" shall be inserted:
- (B) in paragraph 4, relating to Explanation, after clause (xxxvi), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(xxxvii) 'print media' means, —

- (i) 'book' as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), but does not include business directories, yellow pages and trade catalogues which are primarily meant for commercial purposes;
- (ii) 'newspaper' as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867);

(xxxviii) 'clinical establishment' means,-

a hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institution by, whatever name called, that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India, or a place established as an independent entity or a part of an establishment to carry out diagnostic or investigative services of diseases;

(xxxix) 'health care services' means,—

any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India and includes services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment, but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery, except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities, injury or trauma;

(xxxx) 'goods transport agency' means,—

any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.";

(C) After Annexure IV, following annexure shall be inserted, namely:—

"Annexure V

## **FORM**

Form for exercising the option by a Goods Transport Agency (GTA) for payment of GST on the GTA services supplied by him under forward charge before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

## Reference No.-

Date: -

- 2. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Signature of Authorised representative:

Name of Authorised Signatory:

Full Address of GTA:

(Dated acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

**Note**: The last date for exercising the above option for any financial year is the 15<sup>th</sup>March of the preceding financial year. The option for the financial year 2022-2023 can be exercised by 16<sup>th</sup> August, 2022.".

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

**Note**: - The principal notification no.11/2017-State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 and last amended vide notification no. 22/2021-State Tax (Rate), dated the 22<sup>nd</sup> March, 2022, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(168)/Fin(Exp-I)/2021-22/DS-I/201, dated the 22<sup>nd</sup> March, 2022.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)